<u>हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025</u>

(1) **<u>संगठन, कार्य एवं कर्तव्य का विवरण</u> :–** राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग का एक अधीनस्थ विभाग है। यह विभाग उन स्थानीय निधियों की आय/व्यय का अंकेक्षण कार्य करता है जो साधारणतयः राज्य की संचित निधि का भाग नहीं है। इस विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के छः विश्वविद्यालयों, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, विपणन बोर्ड तथा चार प्रमुख विपणन समितियों के लेखों का अंकेक्षण कार्य पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत तथा अन्य स्थानीय निधि संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य उत्तरांकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत किया जाता है। यह विभाग निम्नलिखित संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी हैः–

क्रम संख्या	संस्थाओं/निधियों का नाम
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन
4	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी
5	अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मंडी
6	हिमाचल प्रदश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर
7	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
8	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड
9	विपणन समितियां
10	राजकीय शिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)
11	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि
12	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
13	नगर निगमें
14	नगर परिषदें/नगर पंचायतें
15	हि0 प्र0 बहुतकनीकी संस्थान एवं औ0 प्रशिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)
16	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड
18	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी
19	हि0प्र0 हौम्योपैथी परिषद
20	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी

21	मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष
22	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष
23	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैन्टीन
24	मेला एवं उत्सव
25	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद
26	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड
27	रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झण्डा रोहण दिवस निधि
28	राज्य सैनिक बोर्ड़ विशेष निधि आर.आर. सैनिक विश्राम निधि
29	जिला खेल, संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि
30	ई–गर्वनेन्स
31	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला
32	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली
33	शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा) निधि
34	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला
35	ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषदें
36	हि0प्र0 सरकार द्वारा सौंपा गया विशेष अंकेक्षण

नोटः– हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य सम्बन्धित संस्था के अधिनियम/नियमों इत्यादि के अधीन किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट– (अ) में दिया गया है।

(2) <u>अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य</u> :– यह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त)/सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है।

<u>निदेशक, *राज्य लेखा परीक्षा विभाग*</u> :– विशेष सचिव (वित्त), राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 के निदेशक एवं परीक्षक का कार्यभार संभालते हैं। वह विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं।

<u>राज्य लेखा परीक्षा विभाग के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी</u> :–

<u>अतिरिक्त निदेशक :–</u> वह विभाग के कार्यालय का मुखिया होने के साथ–साथ विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियन्त्रण अधिकारी भी हैं।

संयुक्त निदेशक (स्थानीय निकाय):– वह तकनीकी शाखा, स्थानीय निकायों एवं अनुपालना प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का समस्त अंकेक्षण इनके पर्यवेक्षण में निष्पादित किया जाता हैं।

उप निदशक –। :– वह शहरी निकायों, हिमुडा, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक तथा अन्य विविध संस्थाओं इत्यादि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी हैं।

उप निदेशक –।। :– वह हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, विपणन बोर्ड शिमला, सभी विपणन समितियों, मन्दिर न्यासों, ई–गर्वर्नेन्स, तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, शैक्षणिक तथा अन्य विविध संस्थाओं इत्यादि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी हैं।

सहायक निदेशक (मुख्यालय) :– वह विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं एवं लेखा शाखा के प्रभारी हैं। वह पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर आबंटित अन्य कार्य के लिए भी उतरदायी हैं।

सहायक निदेशक (स्थानीय निकाय) :– वे पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा के लिए उतरदायी हैं। वे पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य एवं अनुपालना प्रकोष्ठ से संबन्धित कार्य के लिए भी उतरदायी हैं।

अनुभाग अधिकारी (स्थापना) :– वह मुख्यालय में संस्थापना तथा लेखा अनुभाग का कार्यभार देखते हैं।

अनुभाग अधिकारी (तकनीकी शाखा) :– वह मुख्यालय में तकनीकी अनुभाग का कार्यभार देखते हैं।

कनिष्ठ लेखा परीक्षक :– वे मुख्य कार्यालय में लेखा, स्थापना एवं तकनीकी अनुभाग में सम्बन्धित सहायक का कार्य करते हैं।

लिपिक :– वे प्रारूपों को टंकित करने तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों का मिलान करना व प्राप्ति एवं प्रेषण कार्य करते हैं।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं के कार्यरत अधिकारी :– संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक और अनुभाग अधिकारी विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा बोर्ड/विपणन बोर्ड, विपणन समितियों में निवासी अंकेक्षण योजनाओं के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करते हैं तथा वहां कार्यरत अपने अधीनस्थ स्टाफ के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक :– निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक निवासी अंकेक्षण योजनाओं में पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण कार्य करते हैं।

वृतों में कार्यरत अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक :– राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं के उतरांकेक्षण कार्य को अंकेक्षण वृतों में कार्यरत सहायक नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ लेखा परीक्षक करते हैं। अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा समय समय पर इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण किया जाता हैं।

(3) निर्णय प्रकिया, पर्यवेक्षण तथा उतरदायित्व :—

विभाग के मुख्यालय में प्राप्त समस्त पत्राचार को सम्बन्धित सहायक (कनिष्ठ लेखा परीक्षक)/लिपिक, अनुभाग अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष सम्बन्धित नस्ति में प्रस्तुत करते हैं और मामलों का निपटारा संयुक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, निदेशक या सचिव (वित्त)/प्रधान सचिव (वित्त)/अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हि0प्र0 सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर किया जाता है।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण से सम्बन्धित मामलों मे प्रारम्भिक कार्यवाही करके मामलों को अनुभाग अधिकारी/सहायक नियन्त्रक, उप नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष जांच एवं निपटारे हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षण वृत्तों में तैनात अंकेक्षण दलों के प्रभारियों को मामलों की प्रकृति के अनुसार अंकेक्षण कार्यो के निष्पादन हेतु मौके पर ही निर्णय लेना होता है। यद्यपि निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत स्टाफ एवं वृत्तों में तैनात अंकेक्षण दल पूर्ण रूप से विभाग के मुख्य कार्यालय के नियन्त्रण एवं निरीक्षण में कार्य करते हैं।

(4) कार्य का निपटारा करने हेतु तय किए गए मानक :— अंकेक्षण स्टाफ को पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य निपटाने के लिए विभाग द्वारा तय मानक जारी किए गये हैं। विभाग द्वारा निम्नलिखित तय मानक निर्धारित किए गए है:—

1. अंकेक्षण कार्य करने हेतु समय आबंटन
2. अंकेक्षण शुल्क की दरें
3. विभिन्न संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण के लिए जांच की प्रमात्रा।
4. अंकेक्षण में विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों के लिए मापदण्ड।
5. विभाग अपने अंकेक्षण क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण का कार्य उनके अधिनियम/नियम पुस्तक/विधेयक/परिनियमों/सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों एवं सरकार/संस्थाओं द्वारा समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत करता है।

(5) विभाग के नियन्त्रण में नियम, विनियम, दिशानिर्देश नियम पुस्तकें और अभिलेख :— विभाग अपने दैनिक कार्य को निपटाने के लिए सरकारी नियमों, दिशानिर्देशों, विभाग के ऑडिट कोड एवं सरकार द्वारा समय—समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है।

(6) विभाग के दस्तावेजों का वर्गीकरण :—

(1) कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित अभिलेख।

(2) विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन जिनका अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।

(3) हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन।

(4) विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से देय अंकेक्षण शुल्क की मांग एवं वसूली का अभिलेख।

(5) विभाग के अन्य प्रशासनिक एवं लेखांकन अभिलेख।

(7) **किसी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श अथवा जनता के सदस्यों के आवेदन नीति अथवा उसके प्रशासन की रचना के विद्यमान होः—** विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन व सरकार द्वारा समय—समय पर सौंपे गए विशेष अंकेक्षण कार्य के लिए उतरदायी है तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रखता है।

(8) **बोर्ड, परिषद समितियां एवं अन्य निकायों जिनका गठन दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा परामर्श एवं उन बोर्ड, परिषद, समितियों तथा अन्य निकायों जो सार्वजनिक हो या जिनकी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण के लिए हो, का विवरण :—** अभी तक इस विभाग में कोई बोर्ड, काउँसिंल समिति या दो से अधिक लोगों द्वारा संस्था नहीं बनाई गईं है।

(9) **अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिकाः—** राज्य लेखा परीक्षा विभाग की निर्देशिका **परिशिष्ट—ब** में संलग्न है।

(10) **विभाग के प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक मानदेयः—** हि0प्र0 सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही इस विभाग द्वारा लागू किए गए है। वेतनमान से ज्यादा या अलग कोई भी मानदेय लागू नही किया गया है तथापि विभाग में विभिन्न पदों के लैवल से सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट—स** में दिया गया है। विभाग में लगाए गए आर्टीकल सहायकों को वृत्तों में अंकेक्षण कार्य करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार ₹ 800/— प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय दिया जाता है।

(11) **विभाग की विभिन्न एजेंन्सी को आबंटित बजट में इसकी सभी योजनाओं अनुमानित व्यय और उसके संवितरण का प्रतिवेदनः—** विभाग को अपनी स्थापना व सम्बन्धित व्यय करने के लिए बजट आबंटित किया जाता है। विभाग के नियन्त्रण/अधीन कोई भी एजेन्सी कार्यशील नहीं है जिसे विभाग या सरकार द्वारा बजट का आबंटन किया जाता है।

(12) **पावती में छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान करने का विवरणः—** इस विभाग द्वारा कोई भी छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।

(13) **अनुदान कार्यक्रमों जिसमें लाभार्थियों को अनुदान आबंटित किए गए के निर्धारित तरीके से निष्पादनः—** अभी तक इस विभाग में कोई अनुदान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

(14) **सूचना जिसका विस्तृत विवरण मौजूद है या रखा गया है, को इलैक्ट्रोनिक फार्म में तबदील करके कम करना :—** वर्तमान में विभाग में हस्तलिखित व टंकण पद्धति द्वारा अभिलेख रखा जाता है तथा धीरे—2 अभिलेख को इलैक्ट्रोनिक फार्म में तबदील करने हेतु सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

(15) **सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित जनता के लिए सुविधा पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष सहित यदि जनता के उपयोग के लिए बनाई गई होः—** सभी नागरिक विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तथापि इस विभाग में जनता की सुविधा के लिए कोई पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष नहीं है ।

(16) राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 में अपील प्राधिकारी और जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण:–

मुख्यालय कार्यालय :–

क0सं0	अपील प्राधिकारी / जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.)	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय दूरभाष सं0
1	श्री सौरभ जस्सल (भा0प्र0से0), निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, अपील प्राधिकारी	राज्य लेखा परीक्षा विभाग	0177–2621855
2	श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	यथोपरि	0177–2620046

राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 की निवासी अंकेक्षण योजनाओं में जन सूचना अधिकारी

क0सं0	निवासी अंकेक्षण योजना का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं0
1	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला	संयुक्त नियन्त्रक (ले0प0)	94187–55001
2	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0 एस0परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन.	उप नियन्त्रक (ले0प0)	94187–47027
3	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	संयुक्त नियन्त्रक (ले0प0)	94180–94339
4	निवासी अंकेक्षण योजना, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी	उप नियन्त्रक (ले0प0)	94184–21492
5	निवासी अंकेक्षण योजना, अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चौक, मण्डी	उप नियन्त्रक (ले0प0)	94186–55816
6	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर	उप नियन्त्रक (ले0प0)	94184–62347
7	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	98059–10505

8	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–2	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	94181–05418
9	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12.	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	94592–79578
10	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	94184–52106
11	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी	अनुभाग अधिकारी (ले0प0)	94592–36492
12	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू.	अनुभाग अधिकारी (ले0प0)	94592–36492

महत्वपूर्ण सम्पर्क दूरभाष नं0

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं0	आवास दूरभाष सं0
1	श्री सौरभ जस्सल (भा0प्र0से0), निदेशक	0177–2621855	–
2	श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक	0177–2620046	–

(17) दूसरी अन्य सूचनाऐं जैसे कि अधिनियम में अधिसूचित की गई हैं। ''शून्य''

विभाग की दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाऐं :–

1. अंकेक्षण की स्थिति :

प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2024–25 के दौरान विभाग द्वारा कुल 381 संस्थाओं का उतरांकेक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस विभाग द्वारा 12 निवासी अंकेक्षण योजनाओं का पूर्वांकेक्षण भी किया जा रहा है।

2. कर्मचारी वर्ग की स्थिति :

दिनाँक 31–03–2024 को विभाग में सृजित कुल 196 पदों के विरूद्ध 107 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे तथा 89 पद रिक्त थे।

3. आर्टिकल सहायकों की एम्पेनलमैंट :

सरकार द्वारा आर्टिकल सहायकों की एम्पैनलमैंट करने की नीति बनाई गई है जिसके लिए वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले स्नातक/स्नातकोतर उम्मीदवारों की नियत कार्य (assignment) के आधार पर तैनाती की गई है।

4. आय व्यय की स्थिति :

(क.) प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2024–25 में विभाग की आय–व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :–

वर्ष	विभाग को वर्ष के प्रारम्भ मे आबंटित बजट	वास्तविक व्यय राशि	अंकेक्षण शुल्क स्वरूप अर्जित राजस्व प्राप्ति	व्यय के विरूद्ध अर्जित आय का प्रतिशत
2024–25	₹ 10,43,98,000	₹ 10,16,97,067	₹ 2,01,59,302	19.82%

(ख.) प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2024–25 में विभाग को पैन्शनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों हेतु आबंटित बजट एवं वास्तविक व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :–

वर्ष	आबंटित बजट	अतिरिक्तता	कुल आबंटित बजट	वास्तविक व्यय
2024–25	₹ 1,74,000	₹ 11,50,000	₹ 13,24,000	₹ 13,23,839

5. वित्तीय वर्ष 2024–25 में पाई गई गम्भीर अनियमितताएं:–

I. शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

1. 04 नगर निगम (मण्डी, पालमपुर, सोलन, धर्मशाला), 19 नगर परिषदों (ऊना, सुंदरनगर, नगरोटा बगवां, पांवटा साहिब, नालागढ़, नाहन, बद्दी, परवाणू, नैना देवी जी, ज्वालामुखी जी, नेरचौक, सन्तोषगढ़, बिलासपुर, चम्बा, रामपुर, ठियोग, कुल्लू, रोहड़ू, मैहतपुर) व 17 नगर पंचायतों (गगरेट, टाहलीवाल, अर्की, बैजनाथ, बंजार, तलाई, ज्वाली, भुन्तर, भोटा, दौलतपुर, राजगढ़, कण्डाघाट, नादौन, अम्ब, नेरवा, चौपाल, बैजनाथ पपरोला) द्वारा सहायता अनुदान ₹50045.3 लाख का उपयोग न करना।
2. 04 नगर निगम (मण्डी, शिमला, पालमपुर, धर्मशाला), 20 नगर परिषदों (ऊना, सुंदरनगर, नगरोटा बगवां, पांवटा साहिब, नालागढ़, ठियोग, नाहन, बद्दी, परवाणू, नैना देवी जी, ज्वालामुखी जी, नेरचौक, सन्तोषगढ़, बिलासपुर, चम्बा, रामपुर, ठियोग, कुल्लू, रोहड़ू, मैहतपुर) व 11 नगर पंचायतों (गगरेट, अर्की, बंजार, तलाई, भुन्तर, भोटा, दौलतपुर, राजगढ़, नादौन, अम्ब, चौपाल) द्वारा गृहकर/चुल्हा कर ₹5893.69 लाख की वसूली न करना।
3. 5 नगर निगम (मण्डी, शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन) 19 नगर परिषदों (ऊना, सुन्दरनगर, नगरोटा बगवां, पांवटा साहिब, नालागढ़, ठियोग, नाहन, बद्दी, परवाणू, नैना देवी जी, ज्वालामुखी जी, नैरचौक, सन्तोषगढ़, बिलासुपर, चम्बा, रामपुर, कुल्लू, रोहड़ू, मैहतपुर) व 14 नगर पंचायतों (गगरेट, अर्की, बैजनाथ,

बंजार, तलाई, ज्वाली, भुन्तर, भोटा, दौलतपुर, राजगढ़, कण्डाघाट, नादौन, चौपाल, बैजनाथ पपरोला) द्वारा दुकान/स्टॉक/प्लॉट/रैहन बसेरा तथा सिनेमा हॉल के किराये ₹3964.92 लाख की वसूली न करना।

4. 04 नगर परिषदों (ऊना, परवाणू, मैहतपुर, नेरचौक) व 04 नगर पंचायत (टाहलीवाल, बैजनाथ, नेरवा, बैजनाथ पपरोला) द्वारा संस्थापना पर ₹2589.62 लाख का स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना।
5. 03 नगर निगम (शिमला, मण्डी, धर्मशाला), 08 नगर परिषदों (ऊना, सुन्दरनगर, नैना देवी जी, ज्वालामुखी जी, सन्तोषगढ़, मैहतपुर, रामपुर, नैरचौक), 08 नगर पंचायत (गगरेट, अर्की, बंजार, भून्तर, दौलतपुर, राजगढ़, नादौन, चौपाल) द्वारा वेतन एवं भत्तों पर ₹148.84 लाख का अधिक/अनियमित व्यय करना।
6. 04 नगर निगम (शिमला, पालमपुर, सोलन, धर्मशाला), 17 नगर परिषदों (ऊना, सुन्दरनगर, नगरोटा बगवां, मैहतपुर, पांवटा साहिब, नालागढ़, ठियोग, नाहन, बद्दी, नैना देवी जी, नेरचौक, सन्तोषगढ़, बिलासपुर, चम्बा, रामपुर, कुल्लू, रोहड़ू) व 09 नगर पंचायतों (गगरेट, टाहलीवाल, अर्की, बैजनाथ, बंजार, तलाई, दौलतपुर, राजगढ़, बैजनाथ पपरोला) द्वारा मोबाईल टावर के स्थापना व नवीनीकरण शुल्क ₹306.72 लाख की वसूली न करना।
7. नगर निगम पालमपुर, 13 नगर परिषदों (बद्दी, ऊना, पांवटा साहिब, नालागढ़, ठियोग, परवाणू, ज्वालामुखी जी, मैहतपुर, नैरचौक, सन्तोषगढ़, चम्बा, रामपुर, रोहड़ू) व 11 नगर पंचायतों (गगरेट, टाहलीवाल, ज्वाली, दौलतपुर, कण्डाघाट, नादौन, अम्ब, नेरवा, चौपाल, बैजनाथ पपरोला, राजगढ़) द्वारा ₹14232.21 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
8. 03 नगर निगम (धर्मशाला, सोलन, मण्डी), 15 नगर परिषदों (ऊना, सुन्दरनगर, नगरोटा बगवां, पांवटा साहिब, नालागढ़, ठियोग, नाहन, ज्वालामुखी जी, सन्तोषगढ़, चम्बा, मैहतपुर, रामपुर, कुल्लू, रोहड़ू, नेरचौक) व 12 नगर पंचायत (गगरेट, टाहलीवाल, अर्की, बंजार, ज्वाली, भून्तर, भोटा, दौलतपुर, राजगढ़, कण्डाघाट, नादौन, अम्ब) द्वारा घर–घर से कूड़ा कचरा एकत्रित करने हेतु देय बकाया शुल्क ₹2989.59 लाख की वसूली न करना।
9. नगर निगम शिमला, 13 नगर परिषदें (ऊना, सुन्दरनगर, पांवटा साहिब, नालागढ़, नाहन, ज्वालामुखी जी, सन्तोषगढ़, चम्बा, रामपुर, ठियोग, कुल्लू, रोहड़ू, नेरचौक) 06 नगर पंचायत (गगरेट, बंजार, तलाई, भून्तर, नादौन, अम्ब) द्वारा संविदाकार को ₹172.17 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना।
10. 02 नगर निगम (पालमपुर, शिमला) 11 नगर परिषदों (बददी, मैहतपुर, नगरोटा बगवां, पांवटा साहिब, ठियोग, नाहन, नैना देवी जी, सन्तोषगढ़, रामपुर, कुल्लू, रोहड़ू) व 08 नगर पंचायत (बैजनाथ, तलाई, ज्वाली, भून्तर, राजगढ़, नादौन, अम्ब, चौपाल) द्वारा नियमानुसार बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए आपूर्तिकर्ता को ₹2194.19 लाख का अनियमित व्यय करना।

11. 04 नगर निगम (सोलन, मण्डी, पालमपुर, शिमला) 08 नगर परिषदों (बददी, ऊना, सुन्दरनगर, नालागढ़, नैना देवी जी, बिलासपुर, चम्बा, कुल्लू) व नगर पंचायत भून्तर द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों में कर्मचारियों को ₹4596.75 लाख का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करना।

II. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (HIMUDA)

1. हिमुडा के 5 निर्माण मण्डलों (शिमला, धर्मशाला, मण्डी, परवाणू तथा नाहन) तथा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा ₹486.64 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करना।
2. हिमुडा के 4 निर्माण मण्डलों (धर्मशाला, मण्डी, परवाणू तथा शिमला) तथा विद्युत मण्डल धर्मशाला द्वारा संविदाकारों को ₹417.88 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना।
3. हिमुडा के निर्माण मण्डल शिमला तथा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा ठेकेदारों से ₹50.97 लाख की अग्रिम राशि की वसूली न करना।
4. हिमुडा के 5 निर्माण मण्डलों (शिमला, धर्मशाला, मण्डी, परवाणू तथा नाहन) द्वारा प्लाट/फलैट धारकों से 1621.75 लाख की रख–रखाव निधि एकत्रित न करना।
5. हिमुडा के 5 निर्माण मण्डलों (शिमला, धर्मशाला, मण्डी, परवाणू तथा नाहन) द्वारा बजट से ₹4.13 लाख का अनियमित/अधिक वेतन भुगतान करना।
6. अन्य विभागों से जमा कार्यों पर किए गए अतिरिक्त व्यय की वसूली न होना, जिसकी राशि ₹1272.38 लाख हिमुडा मुख्यालय है।
7. हिमुडा मुख्यालय द्वारा विभिन्न जमा कार्यों पर ₹9580.01 लाख की धन राशि का उपयोग न किया जाना।

III. हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला

1. अस्थाई अग्रिमों ₹3740.62 का समायोजन न करना।
2. उच्चतम ब्याज दर पर ₹5.89 लाख निवेशित न करने के कारण बोर्ड को हुई वित्तीय हानि।
3. सामान्य भविष्य निधि बैंक खातों में जमा अन्तशेष खाताधारकों के खातों में जमा अन्तशेष की तुलना ₹439 लाख कम पाया जाना।
4. निक्षेप कार्य के रूप में पूर्ण किए गए कार्यों से सम्बन्धित ₹259.96 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना।
5. शिक्षा विभाग से प्राप्त अग्रिम ₹953.76 लाख का समायोजन न करना।
6. वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार की अनुमति के बिना सामान्य निधि से पैन्शन/ग्रैच्युटी निधि को ₹2470.97 लाख की राशि हस्तांतरित करना।

IV. कृषि विपणन समितियाँ

1. विपणन समिति शिमला–ढली द्वारा विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क ₹8.84 लाख की वसूली न करना।
2. 4 विपणन समितियों (शिमला–ढली, सोलन, मण्डी, कुल्लू व लाहौल–स्पीति) द्वारा अदत्त दुकान किराये ₹103.82 लाख की वसूली न करना।
3. 4 विपणन समितियों (शिमला–ढली, सोलन, मण्डी, कुल्लू व लाहौल–स्पीति) द्वारा ₹18.3 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करना।
4. 4 विपणन समितियों (शिमला–ढली, सोलन, मण्डी, कुल्लू व लाहौल–स्पीपि) द्वारा ₹726.85 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेखण में प्रस्तुत न करना

V. जिला परिषद / पंचायत समितियाँ

1. 02 जिला परिषद (ऊना, चम्बा) 11 पंचायत समिति (धर्मशाला, कांगड़ा, ऊना, अम्ब, शिलाई, संगडाह, पच्छाद, नाहन, मैहला, कुल्लू, भटियात) द्वारा सहायता अनुदान ₹4156.04 लाख का उपयोग न करना।
2. 02 जिला परिषद (ऊना, चम्बा) 12 पंचायत समिति (धर्मशाला, कांगड़ा, देहरा, नगरोटा बगवां, पंचरूखी, सुलह, अम्ब, शिलाई, संगडाह, नाहन, मैहला, भटियात) द्वारा ₹1234.35 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
3. 04 पंचायत समिति (देहरा, संगडाह, नाहन, पच्छाद) द्वारा वेतन एवं भत्तों पर ₹21.76 लाख का अधिक / अनियमित व्यय करना।

VI. हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वद्यिालय हमीरपुर

1. अनुदान से सम्बन्धित अनुपयोगी राशि ₹131.02 लाख का उपयोग न करना।
2. ₹148.75 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करनां
3. शेष बची ₹120.14 लाख राशि की वसूली / समायोजन न करना।

VII (A). डॉ वाईएस परमार बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन (2020–2021)

1. अनुदान प्राप्ति एजेंसियों से प्राप्त अनुदान सहायता के ऊपर ₹2802.20 लाख की अतिरिक्त खर्चीली राशि।
2. 31.03.2021 तक लम्बित अग्रिमों का समायोजन न होना, जिसका कुल ₹2767.14 लाख है।
3. कम्पट्रॉलर कार्यालय से विभिन्न विभागों से प्राप्त राशि का मिलना न होना, जिसका कुल मूल्य ₹185.35 लाख है।
4. बैंक में उपलब्ध शेष राशि से अधिक भूगतान के लिए जारी किए गए चैक, जिसका कुल मूल्य ₹9.74 लाख है।

VII (B). डॉ वाईएस परमार बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन (2021—2022)

1. अनुदान प्राप्ति ऐजेन्सियों से प्राप्त अनुदान सहायता के उपर ₹2740.57 लाख की अतिरिक्त खर्चीली राशि।
2. 31.03.2022 तक लम्बित अग्रिमों का समायोजन न होना, जिसका कुल मूल्य ₹3410.34 लाख है।

VIII. अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेरचौक (2021—23)

1. ₹2034 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रसतुत न करना।
2. विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों से 31.03.2023 तक बकाया सम्बद्धता शुल्क आदि, जिसकी राशि ₹228.33 लाख है।
3. विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से 31.03.2023 तक बकाया सम्बद्धता शुल्क आदि, जिसकी राशि ₹31.95 लाख है।

IX. चौधरी सरवन कुमार, हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, काँगड़ा (2021—22)

1. 31.03.2022 तक ₹4344.94 लाख की अस्थाई आकस्मिक अग्रिम राशि का समायोजन न करना।
2. वित्त पोषण ऐजेन्सियों से 2021—22 के ₹922.62 लाख की ऋणात्मक शेष राशि की प्रतिपूर्ति न करना।
3. 2021—22 के वार्षिक खातों में ₹2238.14 लाख की राशि के निधियों के हस्तांतरण का लेखा—जोखा न रखना।
4. 31.03.2022 तक ₹1746.13 लाख की जमा कार्य अग्रिम राशि का समायोजन न करना।
5. 2021—22 की घरेलू आय से सम्बन्धित ₹3456.13 लाख की राशि के अभिलेखों का उत्पादन न करना।

X (A) मार्केटिंग बोर्ड खलीनी (2020—21)

1. आयकर वसूली योग्य खाते की वसूली योग्य राशि ₹612.56 लाख का समायोजन न करना
2. ₹5178.80 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
3. ₹4432.26 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करना।

X (B) मार्केटिंग बोर्ड खलीनी (2020—21)

1. आयकर वसूली योग्य खाते की वसूली योग्य राशि ₹612.56 लाख का समायोजन न करना
2. ₹3137.47 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
3. ₹4778.91 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करना।
4. विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त ₹6866.13 लाख का विस्तृत विवरण न प्रस्तुत करना।

XI सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मण्डी (2022—23)

1. ₹601.23 लाख की अनुदान सहायता राशि का उपयोग न किया जाना।
2. ₹122.11 लाख की अस्थाई आकस्मिक अग्रिम राशि का समायोजन न किया जाना।

परिशिष्ट–''अ''

वैधानिक प्रावधान के अर्न्तगत राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं का विवरण।

क्रम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम	पत्र संख्या एवं अधिसूचनाएं
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला अधिनियम, 1970 की धारा 29 (1) के अधीन
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45(3) सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के विधान (Statutes) के अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45(3) सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विधान (Statutes) की धारा 13.2 के अधीन
4	सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, जिला मण्डी	अधिसूचना संख्या 1–77/70–फिन (एल0ए0) खण्ड–7 पार्ट–8121–8129 दिनाँक 19.12.2019
5	अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	अधिसूचना संख्या 1–77/70–फिन (एल0ए0) खण्ड–7 पार्ट–8121–8129 दिनाँक 19.12.2019
6	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर	अधिसूचना संख्या 1–77/70–फिन (एल0ए0) खण्ड–7 पार्ट–8121–8129 दिनाँक 19.12.2019
7	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड़ अधिनियम, 1968
8	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) के अधीन

9	विपणन समितियां	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय अधिनियम, 2005 की धारा 48(2) के प्रावधानों के अधीन।
10	राजकीय शिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)	हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता, 2012 के नियम 4.9 (बी) के अधीन
11	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि	हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1984 धारा 23(2)सी (ii) अधिसूचना संख्या भाषा–ए(डी)–3/85–2 दिनांक 17–1–1989 एफ/बी(पी–173)
12	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 2004(2004 के अधिनियम संख्या –9) की धारा 28 की उप धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या एच–एसजी–4(डी)1/92–II दिनांक 13–9–2004 के अधीन
13	नगर निगम शिमला/धर्मशाला	नगर निगम अधिनियम 1994 के संशोधित अधिनियम 2007 की सं0 19 की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) खण्ड–4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
14	नगर परिषदे/नगर पंचायतें	नगर निगम अधिनियम, 1994 की उप धारा 1 व धारा 255 की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
15	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रशिक्षण संस्थान की विद्यार्थी निधियां	अधिसूचना सं0 एसटीवी(आईटी)एफ(5)–5/85 दिनांक 16.10.1986 के नियम 7 के अधीन
16	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड़ अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अधीन

17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2002 की धारा 14(2) के अर्न्तगत ।
18	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी	जी.आई.ए. नियम 5(3) संख्या फिश–एफ–(5)–1/82–खण्ड–1 दिनांक 29–3–86 द्वारा अधिसूचित
19	हि0प्र0 हौम्योपैथी परिषद	हि0प्र0 होम्योपैथी प्रैक्टीशनर नियम, 1983 के नियम संख्या 26 के अन्तर्गत
20	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	भाषा एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एलसीए (9) –2/84, दिनांक 10–12–1984 के अधीन
21	मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष	कोष के निर्देश संख्या 8 के अधीन
22	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष	समान्य प्रशासन विभाग–ई अनुभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या –जीएडी–ई(सी)8/99 दिनांक 2–11–99
23	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैन्टीन	पत्र संख्याः पीईआर(एसए–आई)एफ(6)–1/84, दिनांक 18–3–88, 8–5–1998, 16–10–99
24	मेला उत्सव लेखे	संख्या भाषा–सी(13)–2/92–लूज,दिनांक 11–5–99 एफ सी कम सैक्रेटरी एलएसी
25	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद जी आई ए नियम अधिसूचना संख्या –ए एच वाई –ए(5)5/86–दिनांक 3–1–94
26	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड	पत्र संख्याः एच एवं एफ.डब्लयू(सी)(1)–21/76 दिनांक 22–6–1977
27	हि0प्र0 रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि, झण्डा रोहण दिवस निधि	निधि के प्रयोग के लिए नियम अधिसूचना संख्या 11–58/66/जीएडी 'ए' दिनांक 19–10–1977 के नियम 9 के अधीन

28	राज्य सैनिक बोर्ड़ विशेष निधि आर. आर. सैनिक विश्राम निधि	सैन्य सुरक्षा राहत निधि/राष्ट्रीय सुरक्षा राहत कोष के निर्देश संख्या 9 के अधीन
29	सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि, जिला खेल, संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि	पत्र संख्याः फिन सी 15–25/77 (डब्लयू एण्ड एम) दिनांक 29–12–1978
30	ई–गर्वनेन्स	परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टीपीटी–एफ(1)2/2000–ई गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत
31	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला	निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल के पत्र संख्या 4–31/83–वाईएसएस–4388 दिनांक 9.07.2003 के अन्तर्गत
32	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली	सामान्य प्रशासन विभाग, हि0प्र0 की अधिसूचना संख्याःजीएडी–3–सी(4)13/76 दिनांक 18.03.1978 के अन्तर्गत
33	शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा) निधि	शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा) अधिनियम, 2007 की धारा 16 (7) के अन्तर्गत
34	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला	हिमकॉप की गवर्निंग बाडी की दिनांक 11.03.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निदेशक, पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं, हि0प्र0 के पत्र संख्या 4142, दिनांक 25.03.2011 के अन्तर्गत
35	ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषदें	पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118(4) में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.–एच.सी.–(5)सी.(15)एल.ए.डी./2006–12669, दिनांक 07–04–2016 के अन्तर्गत
36	हि0प्र0 सरकार द्वारा सौंपा गया विशेष अंकेक्षण	...

परिशिष्ट ''ब''

राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित निर्देशिका

1. मुख्यालय :–

कम सं0	नाम, पदनाम तथा पता	कार्यालय दूरभाष संख्या
1	श्री सौरभ जस्सल (भा0प्र0से0), निदेशक	0177–2621855
2	श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक	0177–2620046
3	श्री अनिल शर्मा, संयुक्त निदेशक	0177–2620881
4	श्री रविन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक	0177–2620881
5	श्री अनिल कुमार मैहरा, उप निदेशक	0177–2626670
6	श्री श्रीराम सुनील, सहायक निदेशक	0177–2620881
7.	श्री मनजीत भाटिया, सहायक निदेशक	0177–2620046
8.	श्री कृष्ण लाल नेगी, सहायक निदेशक	0177–2626670
9.	श्री धीरज कुमार, अनुभाग अधिकारी (प्र0)	0177–2620046
10.	श्री महेश कुमार कश्यप, अनुभाग अधिकारी (त0)	0177–2620046

2. निवासी अंकेक्षण योजनाएं :–

कम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	योजना का नाम	दूरभाष सं0
1	श्रीमती निर्मला वर्मा, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला।	94187–55001
2	श्री मुकेश कुमार स्नेही, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।	98059–10505
3	श्री ललित कुमार अग्रवाल, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0 वाई0 एस0 परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन।	94187–47027
4	श्री विकास धवन, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी।	94184–21492
5	श्री संदीप कमल, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चौक, मंडी।	94186–55816

6	श्री दीवान चन्द, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर।	94180–94339
7	श्री पुनीश सागर, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर।	94184–62347
8	श्री सोम राज, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–2।	94181–05418
9	श्रीमती पूजा शर्मा, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12।	94592–79578
10	श्री राकेश चौहान, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, सोलन।	94184–52106
11	श्री सुनील कुमार, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, मण्डी।	94592–36492
12	श्री सुनील कुमार, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, कुल्लू।	94592–36492

परिशिष्ट ''स''

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

मुख्य कार्यालय शिमला –171009

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पे लैवल
1.	अतिरिक्त निदेशक	1	23
2.	संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियंत्रक	5	21
3.	उप निदेशक/उप नियंत्रक	8	17
4.	सहायक निदेशक /सहायक नियंत्रक	21	16
5.	अनुभाग अधिकारी	38	13
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	105	11
7.	लिपिक	5	3
8.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू0 प्रौ0)	2	4
9.	चालक	2	5
10	प्रतिलिपि यंत्र चालक	1	2
11.	दफ्तरी	1	1
12	चपरासी	6	1
13	सफाई कर्मचारी	1	अंशकालीन